

क्रमांक प.2(3)(ब)(3317) आ.कृ/16519-29

दिनांक : 31/11/22


संयुक्त निदेशक कृषि (वि.),  
जयपुर/भरतपुर/कोटा/सीकर/  
जालोर/उदयपुर/श्रीगंगानगर/  
भीलवाड़ा/बीकानेर/जोधपुर।

विषय:- कृषि पर्यवेक्षकों के 9 वर्षीय एसीपी स्वीकृति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग में वर्ष 2013 में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त कार्मिकों की 9 वर्षीय सेवा पूर्ण हो रही है जिनकी 9 वर्षीय एसीपी स्वीकृत की जानी है। एसीपी स्वीकृति हेतु प्रकरण में निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता होती हैं :-

क्र.सं.	अपेक्षित सूचना	सूचना का स्तर
1	कार्मिक के विरुद्ध जाँच रिपोर्ट	संबंधित खण्ड कार्यालय स्तर से
2	9 वर्षीय एसीपी देय दिनांक से 7 वर्ष पूर्व (वर्ष 2015-16 से 2021-22) की एसीआर रेटिंग	संबंधित खण्ड कार्यालय स्तर से
3	एसीपी हेतु आवेदन पत्र (आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति कार्मिक की सेवापुस्तिका अनुसार हो)	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष स्तर से प्रमाणित हो।
4	संतान संबंधी घोषणा पत्र	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष से प्रमाणित हो।
5	9 वर्षीय एसीपी देय दिनांक को प्राप्त मूल वेतन तथा पे-मेट्रिक्स के किस Level में हैं। (सेवापुस्तिका अनुसार)	संबंधित कार्यालयाध्यक्ष से प्रमाणित हो।

अतः लेख है कि आपके खण्ड के अधीन आने वाले कृषि विस्तार, एटीसी, आई.पी.एम., उद्यान, आई.जी.एन.पी., सी.ए.डी. व अन्य संबंधित समस्त कार्यालयों को निर्देशित करें कि उनके कार्यालयाधीन कार्यरत वे कृषि पर्यवेक्षक जिनकी 9 वर्षीय सेवा पूर्ण हो चुकी है, उनके 9 वर्षीय एसीपी स्वीकृति के प्रस्ताव उपरोक्त सूचनाओं सहित आयुक्तालय को प्रेषित करावें ताकि समय रहते प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके।


  
(के.सी.मीना)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

दिनांक : 31/11/22

क्रमांक प.2(3)(ब)(3317) आ.कृ/16519-29

प्रतिलिपि एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

  
(प्रवीण कुमार गुप्ता)  
सहायक निदेशक कृषि (प्रशासन)